

विशेष जानकारी

शैक्षिक सम्मलेन संबंधी जानकारी

24/10/2024



1. शिक्षा विभाग के कार्मिकों (शैक्षिक कार्मिक) शैक्षणिक सत्र में 2+2=4 बार शैक्षिक सम्मलेन कर सकते हैं।
2. जिला सम्मेलन हेतु 2 दिन ओर 2 दिन राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाया जाता है।
3. किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 जनवरी के बाद आयोजन नहीं किया जाता है।
4. शैक्षिक कार्मिक अवकाश पर रहकर अपने अधिवेशन में भाग ले सकते हैं।
5. तत्कालीन शिक्षा निदेशक *श्री ललित के.पंवार* ने नम्बर 1989 में आदेश जारी कर शैक्षिक सम्मलेन भाग लिया था, तब से प्रांतीय या जिला स्तरीय सम्मेलन निर्धारित कर उन दिनों को *शैक्षिक अवकाश* घोषित कर दिया गया। इस से पहले यह *विशिष्ट आकस्मिक अवकाश* (Special Casual Leave) बोला जाता था।
6. इस अवकाश के साथ CL ली जा सकती है।
7. इस अवकाश को नियम 7(15) में नहीं रखा गया है।

नरेंद्र सिंह सालासर

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

DEO CHURU

Pm info

Admin penal

